

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ4(ई)(1)(6)च.वे./अलेसे-III/ 5982

दिनांक :- 31.08.2020

आदेश संख्या : 154/2020-21

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6/2/ एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 17.02.98 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार, जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है:-

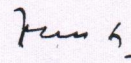
क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कार्यग्रहण तिथि	प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा (8476)	डी.जी.एस.	25.01.1995	25.01.2004	

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.01 (20) वित्त/गुप-2/92 दिनांक 23.04.94 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7 (1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर उक्त चयनित वेतनमान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर चयनित वेतनमान के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.98 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पूर्व में प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है।
2. इनके विरुद्ध कोई फौजदारी/विभागीय जाँच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
3. प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत तिथि तक गत वर्षों में नियमित वार्षिक वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)(1)(6)च.वे./अलेसे-III/ 5982

दिनांक :- 31.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)